# रियायत समझौते के लिए प्रत्यक्ष समझौता

**सेवा में:**

रियायत समझौता

**के बीच:**

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, भारत सरकार, और एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

हम भारत सरकार और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("कंपनी" या "बीआईएएल") के बीच 5 जुलाई, 2004 को हुए रियायत समझौते ("रियायत समझौता") का संदर्भ लेते हैं।

जैसा कि रियायत समझौते में परिकल्पित है, कंपनी कर्नाटक राज्य में बैंगलोर के पास देवनाहल्ली में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास और विस्तार परियोजना के लिए वित्तपोषण समझौते (जैसा कि रियायत समझौते में परिभाषित किया गया है) करने का प्रस्ताव करती है / कर चुकी है, जिसके तहत सुरक्षित पक्षों (Secured Parties) (नीचे परिभाषित) ने कंपनी को वित्तपोषण प्रदान करने / प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

ऐसे वित्तपोषण के लिए सुरक्षा के रूप में, हम आपको एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ("ऋणदाता") के लाभ के लिए ट्रस्टी के रूप में एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ("सुरक्षा ट्रस्टी") के पक्ष में निष्पादित सुरक्षा ("सुरक्षा") के तहत, कंपनी ने ऋणदाताओं के लाभ के लिए सुरक्षा ट्रस्टी को कंपनी की सभी संपत्तियों ("संपार्श्विक/Collateral") में प्रथम प्राथमिकता वाला सुरक्षा हित (first priority security interest) प्रदान किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के खिलाफ सभी दायित्वों जैसे करों, देनदारियों, जुर्माना, ब्याज और अन्य देयों/उगाही के अधीन रियायत समझौता भी शामिल है।

सुरक्षा ट्रस्टी के साथ ऋणदाताओं को यहाँ "सुरक्षित पक्ष" (Secured Parties) कहा गया है।

कंपनी अनुरोध करती है कि इस पावती और सहमति पत्र ("समझौता") की संलग्न प्रति पर हस्ताक्षर करके और वापस लौटाकर, भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से कार्य करते हुए और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, रियायत समझौते के अधीन, सुरक्षित पक्षों के लाभ के लिए निम्नलिखित बातों की पुष्टि और सहमति प्रदान करें:

(a) भारत सरकार सुरक्षित पक्षों के लाभ के लिए सुरक्षा के तहत रियायत समझौते में कंपनी के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों के समनुदेशन (और जहां सुरक्षा के तहत समनुदेशन संभव न हो, वहां प्रभार/charge) के लिए ऐसी शर्तों के साथ सहमति व्यक्त करती है जिन्हें वह उचित समझे, जो कि सरकार की कर देनदारियों, जुर्माना, ब्याज और देय राशि के अधीन होगी।

(b) भारत सरकार सहमत होती है कि:

(i) यदि सुरक्षा ट्रस्टी ने स्वयं को या अपने नामित व्यक्ति (designee) को रियायत समझौते के तहत कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए कंपनी द्वारा दिए गए सुरक्षा हितों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करने का विकल्प चुना है, तो ऐसा सुरक्षा ट्रस्टी या उसका नामित व्यक्ति, हवाई अड्डे के संचालन और रखरखाव के लिए पात्रता योग्यताओं और सरकार की राजनीतिक संवेदनशीलता के अधीन, कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(c) भारत सरकार सहमत होती है कि वह रियायत समझौते के तहत कंपनी को देय और भुगतान योग्य धन (रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार कंपनी को देय किसी भी धन को छोड़कर, जिसका भुगतान सीधे कंपनी को किया जाएगा) का भुगतान बेंगलुरु में ऐसे खाते में सीधे और तुरंत उपलब्ध धनराशि के रूप में जमा करने के लिए करेगी, जैसा कि सुरक्षा ट्रस्टी समय-समय पर निर्देशित करे (और कंपनी एतद्द्वारा भारत सरकार को उपर्युक्त अनुसार भुगतान करने के लिए अधिकृत और निर्देशित करती है)। सुरक्षा ट्रस्टी या उसके नामित व्यक्ति द्वारा कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा हितों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्थिति में, भारत सरकार रियायत समझौते के तहत देय धन (रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार देय धन को छोड़कर) का भुगतान पिछली पंक्ति में निर्दिष्ट खाते में करने के बजाय सीधे सुरक्षा ट्रस्टी को या उसके आदेश पर करने के लिखित निर्देशों का पालन करेगी और ऐसा भुगतान कंपनी को इन राशियों के भुगतान के दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि और वैध निपटान माना जाएगा।

(d) भारत सरकार सहमत होती है कि वह सुरक्षा के तहत सुरक्षा ट्रस्टी को कंपनी के सच्चे और वैध मुख्तार (true and lawful attorney) के रूप में मान्यता देगी, जिसके लिए कंपनी एतद्द्वारा सुरक्षा ट्रस्टी को उस आशय के लिए अधिकृत करती है और भारत सरकार को इसके लिए अपनी सहमति सूचित करती है।

(e) भारत सरकार सहमत होती है कि वह किसी भी ऐसी घटना के घटने के तुरंत बाद सुरक्षा ट्रस्टी को सूचित करेगी (एक "नोटिस") जो भारत सरकार को रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार हवाई अड्डे में BIAL के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों का अधिग्रहण करने का अधिकार देती है। ऐसे नोटिस में उन कारणों का उल्लेख होगा जो भारत सरकार को हवाई अड्डे में BIAL के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों का अधिग्रहण करने का अधिकार देते हैं।

(f) भारत सरकार सहमत होती है कि वह सुरक्षा ट्रस्टी को नोटिस जारी किए बिना रियायत समझौते को समाप्त नहीं करेगी, इसके तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन को निलंबित नहीं करेगी, या हवाई अड्डे में बीआईएएल के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों को प्राप्त करने के अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगी।

(g) भारत सरकार सहमत होती है कि सुरक्षा ट्रस्टी किसी भी समय रियायत समझौते की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने या कराने का हकदार होगा, जो उस घटना के निवारण (remedy) के लिए आवश्यक हो सकती है जिसके कारण नोटिस जारी किया गया है। यदि सुरक्षा ट्रस्टी नोटिस प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर उस घटना के निवारण की व्यवस्था करता है जिसके कारण नोटिस जारी किया गया है, तो भारत सरकार को ऐसी घटना के कारण हवाई अड्डे में BIAL के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों को प्राप्त करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(h) यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उसी के अनुसार परिभाषित किया जाएगा तथा रियायत समझौते के प्रावधानों के अधीन होगा।

(i) इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को, चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो, रियायत समझौते के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार विवाद निवारण के लिए भेजा जाएगा, जिनके प्रावधानों को यहाँ संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है।

(j) रियायत समझौते के अनुच्छेद 18.13 (संप्रभु उन्मुक्ति / Sovereign Immunity) के प्रावधान इस समझौते पर लागू होंगे और संदर्भ द्वारा यहाँ शामिल किए गए हैं।

(k) यह समझौता किसी भी पक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई के बिना उस तिथि को समाप्त हो जाएगा जिस तिथि पर ऋणदाताओं पर कोई बकाया ऋण नहीं रहेगा।

(l) किसी भी परिस्थिति में इस समझौते के तहत सुरक्षा ट्रस्टी, ऋणदाताओं या उनके नामित व्यक्ति के प्रति भारत सरकार की कुल देयता, रियायत समझौते में प्रदान किए गए अनुसार कंपनी के प्रति भारत सरकार के दायित्वों और देनदारियों से अधिक या उसके अतिरिक्त नहीं होगी, सिवाय इसके कि ऐसे दायित्व और देनदारियां इस समझौते की शर्तों के अनुसार कंपनी के बजाय ऐसे सुरक्षित पक्षों, ऋणदाताओं या उनके नामित व्यक्ति की होंगी।

(m) यह समझौता वित्तपोषण समझौतों में प्रदान किए गए अनुसार वित्तीय समापन (Financial Close) की तिथि से प्रभावी होगा और कंपनी द्वारा सरकार को लिखित रूप में विधिवत अधिसूचित किया जाएगा।

**बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**

— हम

**द्वारा**

**नाम**: हरी के. मारार

**पद**: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)

**नाम**: भास्कर ए. राव

**पद**: मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार, विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इस समझौते की पूर्वगामी शर्तों को स्वीकार करते हैं और इस 03 **मार्च** 2022 की तिथि से इनसे बाध्य होने के लिए सहमत होते हैं।

भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार की ओर से और उनके लिए, भारत सरकार द्वारा निष्पादित इस समझौते की तिथि के अनुसार स्वीकार, स्वीकृत और सहमति व्यक्त की गई।

**एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा ट्रस्टी के रूप में**